3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2310–एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–4–2014 – पारित व्दारा कलेक्टर, जिला भिण्ड – प्रकरण क्रमांक 14/2008–09 स्वमेव निगरानी

1– प्रयाग नारायण पुत्र बैजनाथ
2– श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि स्व.अशोककुमार
3– मनोजकुमार पुत्र स्व.अशोक कुमार
4– बनवारीलाल पुत्र प्रयागनारायण
5– आनन्दकुमार पुत्र प्रयोगनारायण
6– कौशलकिशोर पुत्र रामसिया
7– सुधीरकुमार पुत्र रामसिया
सभी निवासी ग्राम खेरिया वाग तहसील मेहगॉव
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

मुरारीलाल पुत्र प्रयाग नारायण
ग्राम खेरिया वाग तहसील मेहगॉव
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 1 – 8 –2018 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 14/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–4–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम खेरिया वाग के खाता क्रमांक 99 पर धारित कुल किता 17 कुल रकबा 27 वीघा 12 विसवा का बटवारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 9 पर आदेश दिनांक 18–7–2002 से किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने कलेक्टर जिला भिण्ड के

समक्ष स्वमेव निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर भिण्ड ने प्रकरण कमांक 14/2008-09 स्वमेव निगरानी पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-4-2014 पारित किया एंव ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 9 पर आदेश दिनांक 18-7-2002 किया गया बटवारा निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार मेहगॉव की ओर पक्षकारों की सुनवाई करके पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। कलेक्टर भिण्ड के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वाद चिचारित भूमि का वर्ष 1986 में आपसी बटवारा हो चुका है जिसका अमल 18-7-2002 को किया गया है। अमल आदेश दिनांक 18-7-2002 के विरूद्व अनावेदक ने कलेक्टर भिंड के समक्ष वर्ष 2007 में अनुचित विलम्ब से निगरानी की थी जो वर्ष 1986 के 14 वर्ष वाद है परन्तु कलेक्टर भिण्ड ने जानबूझकर गलत आधारों पर निगरानी स्वीकार करके पक्षकारों की सहमति से हुये बटवारे को निरस्त करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर का आदेश दिनांक 30-4-14 निरस्त किया जावे।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि संयुक्त परिवार की खाता कमांक 99 पर 27 वीघा 12 विसवा सामिलाती भूमि थी जिसका बिना सहमति के पटवारी से मिलकर ग्राम की नामान्तरण पर गलत बटवारा दर्ज कराया गया है। जानकारी मिलने पर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष स्वमेव निगरानी प्रस्तुत की गई थी। कलेक्टर भिण्ड को धारा 50 में स्वमेव निगरानी के पावर है इसलिये कलेक्टर भिंड का आदेश सही है तहसील में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर मिलेगा, इसलिये निगरानी निरस्त कर दी जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वाद विचारित भूमि का बटवारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 9 पर आदेश दिनांक 18-7-2002 से किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में बटवारे के संबंध में इस प्रकार प्रावधान किया गया है :-

धारा 178 (1) - यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।

तात्पर्य यह है कि बटवारे के लिये तहसीलदार को आवेदन देना अनिवार्य है। **पन्नालाल विरूद्ध रामगोपाल 2016 राजस्व निर्णय 34 में बताया गया है कि नामान्तरण रजिस्टर पर विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार गप्पूलाल मीना विरूद्ध गजानन्द 2001 राजस्व निर्णय 136 पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि विभाजन की कार्यवाही की तामील समुचित नहीं होने पर राजस्व न्यायालय व्दारा किया गया विभाजन पक्षकार पर आवद्धकर नहीं है।** जहां तक वर्ष 1986 में हुये सहमति विभाजन का प्रश्न है ? आवेदकगण के अभिभाषक अभिलेख से यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं कि पक्षकारों के बीच वर्ष 1986 में सहमति के आधार पर विभाजन हो चुका है। कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 30-4-2014 से मामला हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के लिये तहसील न्यायालय में प्रत्यावर्तित हुआ हे एंव उभय पक्ष को तहसीलदार मेहगॉव के समक्ष लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण कलेक्टर जिला भिण्ड व्दारा पारित आदेश दिनांक 30-4-2014 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं हैं

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर जिला भिण्ड व्दारा प्रकरण क्रमांक 14/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-4-2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर